भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3201
बुधवार, 29 मार्च, 2023 (8 चैत्र, 1945 (शक)) को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस

3201# श्री नरहरी अमीनः
श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभाः

क्या ***सहकारिता*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा सहकारी समितियों के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तैयार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सहकारी डाटाबेस तैयार करने में किन बिंदुओं को शामिल किया गया है;

(ग) क्या इस डेटाबेस को तैयार करने के लिए कोई समय सीमा तय की गई है; और

(घ) इस डेटाबेस के तैयार होने के पश्चात सहकारी समितियों को मिलने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (घ): विभिन्न सेक्टरों की सहकारी समितियों की सूचना के लिए सिंगल पॉइंट ऐक्सेस प्रदान करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) के साथ एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस निर्माण करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है । राज्य सरकारों, राष्ट्रीय सहकारी संघों, संबंधित संस्थानों और अन्य हितधारकों के साथ किए गए परामर्श के अनेक दौर के बाद सेक्टर विशिष्ट डाटा फील्ड मैप किए गए हैं । डेटाबेस के प्रमाणीकरण, अनुरक्षण, विस्तार और नियमित अद्यतन के प्रावधान भी किए गए हैं । राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर दिया जाएगा । प्रथम चरण में तीन क्षेत्रकों, अर्थात् प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स), डेयरी और मात्स्यिकी क्षेत्रक में कार्य करने वाली 2.63 लाख प्राथमिक सहकारी समितियों की मैपिंग पूरी हो चुकी है । जुलाई, 2023 तक इस डेटाबेस का विस्तार अन्य सभी सेक्टरों में कार्यरत सहकारी समितियों तक करना अपेक्षित है। यह डेटाबेस हितधारकों को सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त नीतियों की योजना बनाने, नीति निर्माण करने और उनके कार्यान्वयन में मदद करेगा ।

****